किस्म मुकदमा

एफएसएसएस एक्ट, 2006 — [illegible]

[illegible] / 01 / [illegible]

[illegible] खाद्य सुरक्षा अधिकारी , कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी [illegible]

—प्रार्थी

बनाम

[illegible] पुत्र श्री [illegible] उम्र लगभग [illegible] वर्ष [illegible] अस्पताल के सामने, [illegible] सिटी [illegible]

[illegible] सिटी।

[illegible] पुत्र श्री लक्ष्मीनारायण [illegible] उम्र [illegible] वर्ष [illegible] दुर्गा मन्दिर चौराहा, न्यू मण्डी रोड [illegible]

[illegible] दुर्गा मन्दिर चौराहा, न्यू मण्डी रोड, [illegible]

[illegible] पुत्र श्री मोहन लाल अग्रवाल उम्र लगभग [illegible] वर्ष [illegible]

[illegible] FOOD PRODUCTS PVT LTD F- 20? [illegible]

[illegible] BIKANER 334006 (Rajasthan) [illegible]

[illegible] (राज्य)।

[illegible] पुत्र मोहनलाल अग्रवाल उम्र लगभग [illegible] वर्ष [illegible]

[illegible] FOOD PRODUCTS PVT LTD F- 20? [illegible]

[illegible] BIKANER 334006 (Rajasthan) [illegible]

[illegible] (राज्य)।

—अभियुक्तगण

[illegible] एक्ट 2006 की धारा 26 की उपधारा 2 (ii)

[illegible]

निर्णय

[illegible]

[illegible] अलग अलग [illegible] पैकेट को [illegible] कपड़े [illegible] के [illegible] अलग-अलग [illegible]
[illegible] से चिपकाकर डिब्बों पर अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी [illegible]
[illegible] गंगापुर द्वारा प्रदत्त एवं हस्ताक्षर युक्त पेपर स्लिप [illegible] प्रत्येक [illegible]
[illegible] प्रत्येक पैकेट पर चिपकाकर प्रत्येक पैकेट [illegible] एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी [illegible]
[illegible] सील मोहर करके चारों पैकेटों को एक [illegible]
[illegible] आवेदक ने हस्ताक्षर किये एवं सीलबन्द पैकेटों पर [illegible]
[illegible] मालिक ने बताया कि उक्त खाद्य वस्तु Soan Papdi (BC Rajwadi) [illegible]
[illegible] बिल से खरीदा आवेदक को मौके पर फार्म वी [illegible]
[illegible] एवं उसकी एक स्वप्रमाणित प्रति आवेदक को दी। जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ [illegible]

आवेदक ने फार्म नम्बर 6 की प्रतियां तैयार की जिस पर [illegible] नमूना सील बन्द किया गया था। उक्त फार्म नं0 6 की एक प्रति व नमूने की एक [illegible] एक आउटर कवर में लपेटकर सील मोहर कर तथा अलग से फार्म नं0 6 की [illegible] में सील मोहर कर आउटर कवर में सील बन्द पैकेट व फार्म नं0 6 का [illegible] संलग्न वार्ड बॉय कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी [illegible] [illegible].10.2018 को खाद्य विश्लेषक कोटा को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की [illegible] सील बन्द पैकेट मय फार्म सं0 6 की दो प्रतियों के आउटर कवर में सील बन्द [illegible] नमूने का चौथा भाग मय फार्म नं0 6 की प्रति डीओ कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी [illegible] गंगापुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डीओ एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी [illegible] गंगापुर के पत्र क्रमांक/एमएसएस/2018/4252 दिनांक [illegible] 2018 के द्वारा [illegible] विश्लेषक कोटा की जांच रिपोर्ट संख्या 630/एफएसएसएल/कोटा/एक्ट/2018 [illegible] 2018 खाद्य कारोबारकर्त्ता को रजिस्टर्ड डाक के भेजते हुए एक प्रति आवेदक को दी [illegible] उक्त खाद्य वस्तु Soan Papdi (BC Rajwadi) 400 ग्राम का पैक का नमूना [illegible] पाया गया।

उक्त प्रकरण में खाद्य विश्लेषक कोटा की जांच रिपोर्ट संख्या 630/एफएसएसएल/कोटा/एक्ट/2018/ 712 दिनांक 28.11.2018 अनुसार खाद्य कारोबारकर्त्ता ने [illegible] खाद्य पदार्थ Soan Papdi (BC Rajwadi) 400 ग्राम का निर्माण व विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा 2 (ii) का उल्लंघन किया है जो कि धारा 52 के तहत जुर्माना [illegible] है। अतः आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अभियुक्तगण पर अधिकतम जुर्माना [illegible] आम जनता को सुरक्षित खाद्य उपलब्ध कराया जा सके।

न्याय निर्णयन आवेदन न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत होने पर दर्ज [illegible] अभियुक्तगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। अभियुक्त सं0 1 व 2 मय अधिवक्ता उपस्थित [illegible] अभियुक्त सं0 3 व 4 बावजूद सूचना उपस्थित नहीं हुए।

अभियुक्त सं0 1 व 2 के अधिवक्ता ने अपना जवाब पेश कर निवेदन किया कि [illegible] की कार्यवाही अनाधिकृत व्यक्ति द्वारा की गई है तथा सैम्पल अनाधिकृत व्यक्ति द्वारा [illegible] गया है। पंकज कुमार के पास एनएबीएल से संबंधित कोई आवश्यक योग्यता नहीं है। अभियुक्त सं0 1 व 2 द्वारा उक्त खाद्य पदार्थ अभियुक्त सं0 3 व 4 से क्रय किया जाता है तथा [illegible] अवस्था में क्रय किया जाता है, उसी अवस्था में विक्रय किया जाता है, साथ ही वकील अभियुक्त ने उक्त प्रकरण में अभियुक्त सं0 1 व 2 के प्रति नरमी रुख अपनाते हुए कार्यवाही ड्राप करवाने हेतु निवेदन किया है।

हमने अभियुक्तगण की बहस पर मनन किया साथ ही पत्रावली का [illegible] किया। साथ ही पत्रावली में संलग्न खाद्य विश्लेषक कोटा की जांच रिपोर्ट संख्या 630/एफएसएसएल/कोटा/ एक्ट/2018/ 712 दिनांक 28.11.2018 का अवलोकन किया [illegible] जिसके अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जांच विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ Soan Papdi (BC Rajwadi) 400 ग्राम मिसब्राण्ड का निर्माण व विक्रय करने का दोषी पाया गया है। [illegible] उक्त जांच रिपोर्ट से सहमत नहीं था तो रेफरल प्रयोगशाला में जांच करने हेतु [illegible] आवेदन कर सकता था। अतः खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा अभियुक्तगण के [illegible] कार्यवाही उचित प्रतीत होती है।

[illegible] कलेक्टर एवं
[illegible] मजिस्ट्रेट
[illegible]

अभियुक्तगण द्वारा खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम की 2006 की धारा 52 के तहत की गई अनियमितता के लिये सहानुभूति पूर्वक विचार करते हुये अभियुक्त की आर्थिक स्थिति को दृष्टिगत रखते हुये अभियुक्त सं0 1 को 10,000 (दस हजार) , अभियुक्त सं0 2 को 40,000 (चालीस हजार) रू0 एवं अभियुक्त सं0 3 व 4 को संयुक्त रूप से 80,000 (अस्सी हजार) रू0 की आर्थिक शास्ति से अधिरोपित कर दण्ड से दण्डित किया जाता है तथा अभियुक्तगण को आदेशित किया जाता है कि वह उक्त दण्डित शास्ति राशि 30 दिवस की अवधि मे जरिए चालान जमा करवाकर न्याय निर्णय अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, गंगापुर सिटी में पेश करे अन्यथा बाद गुजरने मियाद अपील नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जावेगी। आदेश की एक प्रति आवेदक को एवं एक प्रति अभियुक्तगण को यदि उपस्थित हो तो व्यक्तिशः या प्राधिकृत व्यक्ति को परिदत्त की जावें। अन्य स्थिति में आदेश की प्रति जरिये पंजीकृत डाक से प्रेषित की जावें।

यह निर्णय आज दिनांक. 28.08.2024 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अतिरिक्त जिला कलेक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
सत्यमेव जयते
गंगापुर सिटी, जिला

(रवि वर्मा)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
गंगापुर सिटी

अतिरिक्त जिला कलेक्टर एव
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
गंगापुर सिटी